दिनांक 31.05.2021 को जिलाधिकारी महोदय, खीरी की अध्यक्षता में आयोजित जलजीवन मिशन योजना के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखीमपुर खीरी की बैठक का कार्यवृत्त।

(17)

दिनांक 31.05.2021 को जिलाधिकारी खीरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अनतर्गत कलक्ट्रेट सभागार खीरी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे।

1– जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी।
2– मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
3– जिलाविकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
4– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, लखीमपुर खीरी।
5– प्रतिनिधि प्रभागीय बनाधिकारी दक्षिण लखीमपुर खीरी।
6– सहायक अभियन्ता, नलकूप खण्ड लखीमपुर खीरी।
7– सहायक अभियन्ता, सिचाई खण्ड प्रथम, लखीमपुर खीरी।
8– जिला पंचायत राज अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
9– जिला थारू जनजाति के विकास कार्यों के परियोजना अधिकारी लखीमपुर खीरी। ।
10– डा0 अनिल कुमार, चौधरी एडिशनल मुख्य चिकित्साधिकारी लखीमपुर खीरी।
11– जिला सूचना अधिकारी लखीमपुर खीरी।
12– सहायक अभियन्ता, जल निगम लखीमपुर खीरी।
13– सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई लखीमपुर खीरी।

बैठक में सर्वप्रथम जलजीवन मिशन से सम्बन्धित कराये जाने वाले कार्यो एवं इस योजना से सम्वन्धित जारी दिशा निर्देशों की जानकारी उपस्थित सभी अधिकारियों को दी गयी तथा इसके पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा फर्म को उपलब्ध करायी गयी 373 नग ग्रामपंचायतों के सापेक्ष वर्तमान तक तैयार किये गये डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी।

1– **डी0पी0आर0 की प्रगति समीक्षा–** इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखीमपुर में नियुक्त फर्म मै0 एन0सी0सी0लि0, एन0सी0 हाऊस, 5 वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदरावाद द्वारा कुल प्रस्तावित 373 नग प्राक्कलन के सापेक्ष 10 नग प्राक्कलन दिनांक 17.04.2021 एवं 7 नग प्राक्कलन दिनांक 24.05.2021 को जल निगम के खण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराये गये थे। प्रस्तुत प्राक्कलनों की जांच करने के उपरान्त 53 विन्दुओं पर विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं वित्तीय कमियों की आपत्ति लगाते हुए समस्त 17 नग डी0पी0आर0 फर्म को वापस किया गया था। फर्म द्वारा पुनः दिनांक 30.05.2021 को विकास खण्ड लखीमपुर के 02 ग्रामपंचायतों एवं विकास खण्ड नकहा के 10 ग्राम पंचायतों का संशोधित डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया गया, जिसकी जांच अधिशासी अभियन्ता जल निगम लखीमपुर खीरी के स्तर से की गयी एवं दिनांक 31.05.2021 को आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जल निगम के सहायक अभियन्ता द्वारा बैठक में समिति को अवगत कराया गया कि फर्म के द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 में पूर्व में इंगित 53 बिन्दुओं पर तकनीकी एवं वित्तीय आपत्तियों का निराकरण करा दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि जल निगम में प्रचलित प्रथा के अनुसार डीपी0आर0 में रोड रेस्टोरेशन कार्य की लागत डिस्ट्रीव्यूसन नेटवर्क की लागत का 25 प्रतिशत तक रहना चाहिए, लेकिन जो डी0पी0आर0 फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें रोड रेस्टोरेशन कार्य की लागत वितरण प्रणाली की लागत के अनुसार 53 प्रतिशत तक है। इस संदर्भ में एन0सी0सी0 लि0 फर्म के महा प्रबन्धक के द्वारा बताया वताया गया कि एस0डब्लूएस0एम0 लखनऊ द्वारा दिनांक 27.05.2021 को फर्म एवं जल निगम के अभियन्ता के साथ बैठक में मुख्य अभियन्ता एस0डब्लूएस0एम0 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि अगर डी0पी0आर0 की लागत प्रति व्यक्ति रू0 6000.00 से कम होती है, तो रोड रेस्टोरेशन कार्य की लागत प्रचलित सीमा से अधिक हो सकती है। महाप्रवन्धक के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तुत डी0पी0आर0 स्थल सर्वे के अनुसार एक अनुमान है, परन्तु उक्त का भुगतान ग्रामपंचायत में वास्तविक रूप से कराये गये कार्यों के मापन के अनुसार किया जायेगा। उक्त पर समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सहमति व्यक्त की गयी।

एन0सी0सी0 लि0 फर्म के महा प्रबन्धक श्री सतीश कुमार ने बताया कि कुल 373 ग्रामपंचायतों की पेयजल योजना के डी0पी0आर0 बनाये जाने हैं। जिसमें से 186 ग्रामपंचायतों के लिए उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध हो गया है एवं 98 ग्रामपंचायतों में जो भूमि उपलब्ध करायी गयी है, वह भूमि जलकल स्थल के उपयुक्त नहीं है। यह भूमि काफी गहरी है उसे उपयुक्त बनाने के लिए अधिक मिट्टी की भरायी करनी पड़ेगी, एवं रिटेनिंग वाल बनाना पड़ेगा। जिसके कारण डी0पी0आर0 की लागत अधिक होगी, जबकि एस0डब्लूएस0एम0 लखनऊ द्वारा अतिरिक्त मिट्टी भरायी के कार्यो पर रोक लगायी गयी है। ग्रामपंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्थल की पुनः जांच फर्म के प्रतिनिधि, जल निगम के जूनियर इंजीनियर एवं ग्रामपंचायत के लेखपाल की टीम बनाकर उक्त स्थल कम से कम लागत में अतिरिक्त मिट्टी भरायी का आकलन कर अतिरिक्त लागत की अनुमति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के संस्तुति के अनुसार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त कर उसका प्राविधान डी0पी0आर0 में किया जायेगा। शेष 89 ग्रामपंचायतों में भूमि चिन्हित नहीं हो पायी है। उस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से पुनः सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से उपयुक्त भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही फर्म द्वारा विशेष प्रयास कर तत्परता से निः शुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा।

प्रस्तुत समस्त डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन द्वारा वर्तमान में निर्देशित रू0 6000.00 प्रति व्यक्ति की लागत की सीमा के अन्तर्गत हैं। अतः समिति के समक्ष प्रस्तुत समस्त 12 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखीमपुर द्वारा संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम), नामिम गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, 6 – राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को शासनादेश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तुत 12 नग डी0पी0आर0 का विवरण निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी / अध्यक्ष
लखीमपुर खीरी।

पृ0 सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार– 1342/ WS36A/93/ दि0 03/6/21

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
2– अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
3– मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
4– जिलाविकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
5– प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी।
6– जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी, खीरी।
7– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम, खीरी।
8– अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग लखनऊ।
9– सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई खीरी।
10– जिला कृषि अधिकारी, खीरी।
11– सहायक सूचना निदेशक खीरी।
12– जिला पंचायत राज अधिकारी, खीरी।
13– जी0एम0 मैसर्स एन0सी0सी0 लि0, एन0सी0 हाऊस, 5 वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
लखीमपुर खीरी।